अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2020 (GCMS 2020/00157) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

22.03.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे उनके द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना उसे दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. **पत्रांक उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 388 दिनांक 13.06.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
2. **पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी के पद की सूचना व प्रमाण्ति प्रति।**
3. **उपरोक्त पत्र प्राप्ति से इस पत्र का जवाब(सूचना का अधिकार का) देने तक जो जो कार्यवाही पत्रांक उप पंजीयक 388 दिनांक 13.06. 2019 पर की गई, उसकी सूचना।**
4. **पत्रांक 388 दिनांक 13.06.2019 के बिन्दु संख्या एक में अंकित तथ्य में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 11.04.2014 तक सुभाष गोयल द्वारा मत दाता पर्चिचा घर–घर जाकर वितरित की है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. कार्यालय पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 द्वारा श्री सुभाष गोयल द्वारा मतदात पर्चिया घर–घर जाकर वितरित करनी बतायी है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1218 दिनांक 04.08.2014 से श्री सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2014 तक चुनाव ड्यूटी श्रीगंगानगर में करना बताया है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 06.04.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2755/14 में शपथ पत्र में दायर किया है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. श्री सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की (अनुमति) स्वीकृति अपने पैतृक विभाग श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर से ली गई इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. सुभाष गोयल का उक्त कार्य विरोधाभाषी व दण्डनीय है इस बाबत सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(53)(RTI)निर्वा/2020/1712 दिनांक 24.06.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 आईपीओ नं. 48एफ–311013 इस कार्यालय को दिनांक 18.06.2020 को प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 1 से 9 में आप द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युतर निम्नानुसार है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हिहत कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 24.06.200 से जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 24.06.2020 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फिर भी अपीलार्थी किसी चिन्हित दस्तावेज की सूचना लेना चाहे तो नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर